झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

सप्तम् (शीतकालीन) सत्र

वर्ग-03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, बुधवार, दिनांक :- 01 पौष 1943 (श0) / 22 दिसम्बर, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
102.	ग्राम-02	डॉ0 इरफान अंसारी	अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई	ग्रामीण विकास	13.12.21
103.	पथ-03	श्री बिरंची नारायण	सड़कों का निर्माण।	पथ निर्माण	13.12.21
104.	पेय-09	श्री अमर कुमार बाउरी	नल से पेयजल की आपूर्ति।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.12.21
105.	मस-02	श्रीमती सीता सोरेन	बकाया मानदेय का भुगतान।	म0बा0वि0 एवं सा0सु0	13.12.21
106.	पथ-04	श्री विनोद कुमार सिंह	सड़क निर्माण की स्वीकृति।	पथ निर्माण	13.12.21
107.	पथ-11	श्री लोबिन हेम्ब्रम	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	13.12.21
108.	न-01	श्री मनीष जायसवाल	योजना का लाभ	नगर विकास एवं आवास	13.12.21
109.	पंचा-01	श्री रामदास सोरेन	दोषियों पर कार्रवाई।	पंचायती राज	15.12.21
110.	ग्राम-07	श्री आलोक कु0 चौरसिया	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	13.12.21
111.	पेय-01	श्री बिरंची नारायण	पाईप लाईन से जलापूर्ति।	पेयजल एवं स्वच्छता	13.12.21
112.	पेय-04	श्री उमाशंकर अकेला	डीप बोरिंग एवं टंकी का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	13.12.21
113.	ग्राम्य-02	श्री संजीव सरदार	पुल का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	15.12.21
114.	पथ-15	श्री निरल पुरती	मुआवजा का भुगतान।	पथ निर्माण	15.12.21
115.	पथ-10	श्री अनन्त कुमार ओझा	ओवरब्रिज का निर्माण।	पथ निर्माण	13.12.21
116.	परि0-01	श्री मनीष जायसवाल	सदस्यों का मनोनयन।	परिवहन	13.12.21
* 117.	ग्राम-11	डॉ0 नीरा यादव	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	15.12.21

* ग्रामीण विकास विभाग से ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित।

01	02	03	04	05	06
118.	भ-02	श्रीमती पुष्पा देवी	संवेदक पर कार्रवाई।	भवन निर्माण	13.12.21
119.	भ-04	श्री रामदास सोरेन	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	भवन निर्माण	15.12.21
120.	ग्राम-01	श्री कमलेश कुमार सिंह	सड़कों की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	13.12.21
121.	पथ-01	श्री कमलेश कुमार सिंह	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	पथ निर्माण	13.12.21
122.	ग्राम-09	सुश्री अम्बा प्रसाद	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	13.12.21
123.	पथ-08	श्री उमाशंकर अकेला	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	13.12.21
124.	भ-03	श्री दिनेश विलियम मरांडी	कार्रवाई करना।	भवन निर्माण	13.12.21
125.	ग्राम्य-1	सुश्री अम्बा प्रसाद	सड़क का चौड़ीकरण।	ग्रामीण कार्य	13.12.21
126.	पथ-06	श्री सुदिव्य कुमार	वाईपास सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	13.12.21
127.	मस-03	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	मानदेय का भुगतान।	म0बा0वि0एवं सा0सु0	15.12.21
128.	पथ-02	डॉ0 इरफान अंसारी	पथ निर्माण विभाग से कार्य कराना।	पथ निर्माण	13.12.21
129.	ग्राम-03	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	पथों का सुदृढ़ीकरण।	ग्रामीण विकास	13.12.21
130.	पथ-12	श्री लोबिन हेम्ब्रम	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	13.12.21
131.	पथ-13	श्रीमती पुष्पा देवी	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	13.12.21
132.	पथ-07	श्री अमित कुमार यादव	पथ का हस्तांतरण।	पथ निर्माण	13.12.21
133.	पथ-16	श्री सुदेश कुमार महतो	पथ के मरम्मति।	पथ निर्माण	15.12.21
134.	ग्राम-08	श्री आलोक कु0 चौरसिया	पुल का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	13.12.21
135.	पेय-02	श्री अमित कुमार यादव	अनियमितता की जाँच।	पेयजल एवं स्वच्छता	13.12.21
136.	मस-01	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	राशन उपलब्ध कराना।	म0बा0वि0 एवं सा0सु0	13.12.21
137.	ग्राम-04	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	13.12.21
* [illegible] 138.	भ-01	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	अंचल भवन का निर्माण।	भवन निर्माण	13.12.21
139.	पेय-03	श्री कोचे मुण्डा	पेयजल योजना की निविदा आमंत्रित करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	13.12.21
140.	पेय-05	श्री नलिन सोरेन	पेयजल की आपूर्ति।	पेयजल एवं स्वच्छता	13.12.21
141.	पथ-05	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	पथ की मरम्मति।	पथ निर्माण	13.12.21
142.	पथ-17	डॉ0 लम्बोदर महतो	पथ का चौड़ीकरण।	पथ निर्माण	15.12.21
143.	पथ-14	श्री दशरथ गागराई	पुल निर्माण पूर्ण कराना।	पथ निर्माण	13.12.21
# 144.	ग्राम-12	डॉ0 नीरा यादव	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	15.12.21
145.	ग्राम-10	श्री विगा सुसारन होरो	प्रखण्ड बनाना।	ग्रामीण विकास	15.12.21
146.	पेय-08	श्री केदार हजरा	पेयजल आपूर्ति योजना पूर्ण कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	13.12.21
147.	ग्राम-06	श्री कोचे मुण्डा	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	13.12.21
148.	न-02	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	विवाह मंडप का निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	13.12.21
149.	पेय-07	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	13.12.21
150.	ग्राम-05	श्री नलिन सोरेन	पथ की मरम्मति	ग्रामीण विकास	13.12.21

कृ0पृ0उ0 ..../-

* भवन निर्माण विभाग से राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को स्थानांतरित।

\# ग्रामीण विकास विभाग से ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

01	02	03	04	05	06
181.	पथ-09	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	फ्लाई ओवर का निर्माण।	पथ निर्माण	13.12.21
182.	पेय-06	श्री अनन्त कुमार ओझा	पेयजल की आपूर्ति	पेयजल एवं स्वच्छता	13.12.21

राँची,

दिनांक- 22 दिसम्बर, 2021 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-झा0वि0स0-प्रश्न-04/2020- 2519 /वि0स0,राँची,दिनांक- 17/12/21

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

17/12/21

(संजीत कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-झा0वि0स0-प्रश्न-04/2020- 2519 /वि0स0,राँची,दिनांक- 17/12/21

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव, (प्रश्न),झारखण्ड विधान-सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

17/12/21

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-झा0वि0स0-प्रश्न-04/2020- 2519 /वि0स0,राँची,दिनांक- 17/12/21

प्रतिलिपि :- कार्यवाही शाखा/ ऑनलाइन शाखा/ वेबसाईट शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/21

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/-

17/12/21

(102)

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 22.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – ग्राम–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न कर्ता – डॉ० इरफान अंसारी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 20–21 और 21–22 में सरकार ने मनरेगा से राज्य अन्तर्गत कुल कितने सिंचाई कूपों के निर्माण की स्वीकृति दी है, उसमें अभी तक कितने कूपों का निर्माण हो चुका है और कितने का निर्माण अधूरा है एवं जिलावार आंकड़े क्या है;	वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में कुल 64344 सिंचाई कूपों की योजना को स्वीकृत किया गया है जिसमें से 47835 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर 6225 सिंचाई कूप की योजना को पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष पर कार्य जारी है (जिलावार प्रतिवेदन संलग्न है)।
2. क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगे कि समय–सीमा के अन्दर कूप निर्माण को पूरा नहीं करने का कारण क्या है;	मनरेगा अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई कूप की योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने की कार्रवाई सभी जिलों द्वारा की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समय–सीमा के अन्दर कूप निर्माण पूरा नहीं करनेवाले संबंधित विभाग के लापरवही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कूप निर्माण से संबंधित वस्तु–स्थिति उपरोक्त कंडिका 01 एवं 02 में स्पष्ट कर दी गयी है। विभाग द्वारा निरंतर समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग, पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से निरंतर कूप निर्माण की योजनाओं को पूर्ण करने हेतु सभी जिलों/प्रखण्डों को नियमित रूप से निदेशित किया जाता है। यदि लापरवाही बरतने का कोई मामला संज्ञान में आता है तो उक्त पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–305/वि० स०/2021/ग्रा० वि० – (M) 1646 (अनु0) राँची, दिनांक 21.12.2021

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 2366 दिनांक 13.12.2021 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह०) 21.12.21
(प्रमोद कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 13(B)–306/वि0 स0/2021/ग्रा0 वि0 – (N) 1646 राँची, दिनांक 21-12-2021

प्रतिलिपि – माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 21.12.21

सरकार के अवर सचिव।

Status of construction of irrigation well

Sl	Districts	FY 2020-21				FY 2021-22			
		Total Approved	Total works started	Works completed	Ongoing	Total Approved	Total works started	Works completed	Ongoing
1	BOKARO	2608	2241	146	2095	572	318	4	314
2	CHATRA	2244	1606	153	1453	710	308	11	297
3	DEOGHAR	3266	2806	203	2603	744	367	9	358
4	DHANBAD	627	456	31	425	195	102	0	102
5	DUMKA	1817	1546	126	1420	767	368	2	366
6	EAST SINGHBUM	456	314	69	245	51	18	0	18
7	GARHWA	3065	2394	212	2182	2193	1321	8	1313
8	GIRIDIH	3819	3238	388	2850	779	576	28	548
9	GODDA	3269	2570	769	1801	1202	617	22	595
10	GUMLA	2731	2451	255	2196	409	342	7	335
11	HAZARIBAGH	3694	2811	645	2166	441	205	14	191
12	JAMTARA	2086	1766	231	1535	562	306	2	304
13	KHUNTI	1038	827	24	803	248	117	0	117
14	KODERMA	505	279	41	238	136	85	1	84
15	LATEHAR	2397	1808	582	1226	218	136	6	130
16	LOHARDAGA	763	692	56	636	296	39	0	39
17	PAKUR	1412	1307	400	907	1096	687	30	657
18	PALAMU	2892	2474	397	2077	924	571	13	558
19	RAMGARH	1379	1285	159	1126	1069	736	16	720
20	RANCHI	2971	2488	454	2034	2068	1178	21	1157
21	SAHEBGANJ	1585	1120	345	775	879	228	12	216
22	SARAIKELA KHARSAWAN	958	722	102	620	457	118	2	116
23	SIMDEGA	1046	903	151	752	374	164	1	163
24	WEST SINGHBHUM	922	641	68	573	406	183	9	174
	Grand Total	**47548**	**38745**	**6007**	**32738**	**16796**	**9090**	**218**	**8872**

श्री बिरंची नारायण, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक-22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-"पथ-03" का उत्तर प्रतिवेदन :-

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 2-सड़कों क्रमशः उकरीद से नया मोड़, धर्मशाला मोड़ होते हुए आईटीआई मोड़, फोर लेन तक फोर लेन सड़क निर्माण और बोकारो हवाई अड्डा से सेक्टर-5, 6 और 11 होते हुए तैलमोचचो ब्रिज फोर लेन तक फोर लेन सड़क निर्माण हेतु बोकारो स्टील प्लांट से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त हो चुका है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों सड़कों कि स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है और अक्सर इस पथ पर दुर्घटनाएं घटित होती है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त दोनों सड़कों का निर्माण कार्य करवाने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न अंतर्गत निम्न दो पथ सम्मिलित है :- 1. आई०टी०आई० मोड़ से उकरीद मोड़ पथ (लंबाई-9.0 कि०मी०) यह पथ निर्माण विभाग अंतर्गत है। यह पथ दो लेन/चार लेन है। उक्त पथ का उन्नयन वर्ष 2017-18 में कराया गया है। पथ के चौड़ीकरण हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। फलाफल तथा निधि की उपलब्धता अनुसार आगामी वर्षों में परियोजना पर विचार किया जा सकेगा। 2. बोकारो हवाई अड्डा से सेक्टर-5, 6, 11 होते हुए तैलमच्चो ब्रिज तक पथ (लंबाई-10.95 कि०मी०)। पथ की कुल लंबाई-10.95 कि०मी० में 3.65 कि०मी० (चैनेज-7.30 से 10.95 कि०मी०) तक का अंश पथ निर्माण विभाग अधीन है। जिसका उन्नयन कार्य वर्ष 2017-18 में कराया गया है। पथ के चौड़ीकरण हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। फलाफल तथा निधि की उपलब्धता अनुसार आगामी वर्षों में परियोजना पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०-11-ता०प्र०-03/2021 3984(5) राँची/दिनांक : 20/xii/21
प्रतिलिपि- श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक-2353, दिनांक-13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०-11-ता०प्र०-03/2021 3984(5) राँची/दिनांक : 20/xii/21
प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०-11-ता०प्र०-03/2021 3984(5) राँची/दिनांक : 20/xii/21
प्रतिलिपि- श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री अमर कुमार बाउरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 09 का उत्तर :–

<table>
<tr><td colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</td><td>श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के चंदनकियारी के पंचायतों में नागरिकों को शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से देने हेतु पेयजल आपूर्ति योजना 2010–11 को निर्मित हुई थी;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 से लेकर अभी तक चंदनकियारी क्षेत्र में निर्बाध रूप से जलापूर्ति करने में यह योजना विफल रही है, जिस कारण चंदनकियारी क्षेत्र के हजारों परिवार को पेयजल आपूर्ति की समस्या से जूझना पड़ रहा है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
चन्दनकियारी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2010–11 में पूर्ण होने के उपरांत संवेदक द्वारा योजना संचालन हेतु दिनांक– 11.01.2013 को ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को हस्तान्तरित कर दी गई। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा सही तरीके से योजना का संचालन नहीं करने के कारण कुछ अवयव क्षतिग्रस्त हो गये है फलस्वरूप वर्तमान में योजना बन्द है।
वर्तमान में चन्दनकियारी क्षेत्र में पेयजलापूर्ति की स्थिति निम्न प्रकार है :–
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>पंचायत का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>कुल जनसंख्या</th><th>कुल चालू नलकूपों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>चन्दनकियारी पश्चिमी</td><td>चन्दनकियारी अंश</td><td>5702</td><td>46</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td rowspan="2">चन्दनकियारी पूर्वी</td><td>बिरखाम</td><td>1265</td><td>14</td></tr>
<tr><td>चन्दनकियारी अंश</td><td>4134</td><td>45</td></tr>
</table>
वर्णित क्षेत्रों में विभागीय मापदण्ड के अनुसार पेयजल से पूर्णतः आच्छादित है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चंदनकियारी की जनता को निर्बाध पेयजल आपूर्ति नल के माध्यम से करने की मंशा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>चन्दनकियारी पाईप जलापूर्ति योजना को पुनः चालू कराने हेतु प्राक्कलन तैयार कराने की कार्रवाई की जा रही है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–169/2021– 3414 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2482, दिनांक– 15.11.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21

(किशोर कुमार वर्मा)

संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–169/2021– 3414 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21

(किशोर कुमार वर्मा)

संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

12.2021

श्रीमती सीता सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–02 का उत्तर

105

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत सेविका सहायिका सरकारी कर्मचारी नहीं है;	स्वीकारात्मक। सेविका सहायिका मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 से 2021 तक सेविका–सहायिका का बकाया भुगतान व पोषाहार की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, साथ ही दुमका, गोड्डा, कोडरमा, धनबाद, चतरा गिरिडिह के पोषण सखियों का 9 महिनों से मानदेय नहीं मिला है;	1. वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका के बकाया मानदेय भुगतान की स्थिति, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नगण्य है। 2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का मानदेय बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में पोषण सखी के मानदेय भुगतान की कार्रवाई लंबित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो आंगनबाड़ी सेविका–सहायिका को नियमावली बनाकर सरकारी कर्मचारी घोषित करना और बकाया मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?	इनकी नियुक्ति केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से समय–समय प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में किया गया है एवं तदनुसार मानदेय एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। सम्प्रति इन्हें सरकारी कर्मचारी के रुप में नियुक्ति एवं सेवा सुविधा प्रदान करने संबंधी कोई दिशा निर्देश भारत सरकार से प्राप्त नहीं है एवं तदनुसार एतद् संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है। अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह– पोषण परामर्शी (पोषण सखी) की सेवा बनाये रखने एवं इन्हें राज्य संसाधन से मानदेय भुगतान करने संबंधी मामला सम्प्रति विभागान्तर्गत विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा– 479/2021 –2450 रॉंची, दिनांक : 21-12-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को उनके पत्र सं0–2338/वि0स0 दिनांक–13.12.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.21

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

(106)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–04" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि NH-100 पथ का बगोदर हजारीबाग अंश गिरिडीह जिला को राजधानी से जोड़ती है, जो अत्यंत ही जर्जर हो चुका है ;	यह पथ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–100 है। जो भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अधीन है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बगोदर–हजारीबाग रोड की तत्काल निर्माण की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में, पथ की आवश्यक मरम्मति के पश्चात् आवागमन योग्य बनाया गया है। बगोदर से हजारीबाग (लंबाई–48.00 कि०मी०) को पेव्ड सोल्डर सहित दो लेन निर्माण हेतु DPR मंत्रालय को भेजा गया है। स्वीकृति पश्चात् कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–04 / 2021 (शीतकालीन सत्र) 3985(3) राँची / दिनांक : 20/xii/21
प्रतिलिपि– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2354, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/12
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–04 / 2021 (शीतकालीन सत्र) 3985 राँची / दिनांक 20/xii/21
प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/12
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–04 / 2021 (शीतकालीन सत्र) 3985 राँची / दिनांक : 20/xii/21
प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

(हस्ताक्षर) 20/12
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–11" का उत्तर प्रतिवेदन :– (107)

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत मिर्जाचौकी से भगैया, मंडरो होते हुए श्रीपुर तक सड़क की स्थिति अत्यंत खराब है ;	प्रश्नगत पथांश पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व अधीन है। उक्त पथांश में कार्य हेतु DPR सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके पश्चात् स्वीकृति की कार्रवाई की जा सकेगी।
2. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला मुख्यालय एवं रेलवे मार्ग को जोड़ने वाला यह एक मात्र सड़क है ;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित एवं लोकहित में उक्त सड़क का निर्माण करवाने की विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–11/2021 3990(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2361, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–11/2021 3990(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–11/2021 3990(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

(हस्ताक्षर) 20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य झारखण्ड विधानसभा द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न–01 का उत्तर

(108)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ हेतु सरकार द्वारा 80 हजार स्ट्रीट वेंडरों को देने का लक्ष्य निर्धारित की गई थी, परन्तु अबतक सरकार उक्त योजना का लाभ मात्र 24.43 हजार स्ट्रीट वेंडरों को दे पाई है;	स्वीकारात्मक। 80 हजार स्ट्रीट वेंडरों को बैंक ऋण देने के लक्ष्य पर अबतक 28.36 हजार स्ट्रीट वेंडरों को ऋण संवितरित हो गया है। इसके अलावा 20.80 हजार स्ट्रीट वेंडरो का ऋण संवितरित प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में कोरोना काल में सैंकड़ो स्ट्रीट वेंडरों के समक्ष भूखमरी की स्थति उत्पन्न हो गई तथा कितनो का राशि के आभाव में व्यवसाय बन्द हो गई परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना की शुरूआत कर स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से की जिसके अंतर्गत 10 हजार रूपये व्यवसाय करने के लिए ऋण दी जाने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण ही सरकार राज्य में अबतक मात्र 30.54% लक्ष्य को पूरा कर पाई है, जिसमें हजारीबाग 32.55%, धनबाद 23.03%, राँची 19.10%, गिरिडीह 43.72%, जमशेदपुर 25.09, सहित कई अन्य निकाय क्षेत्रों का लक्ष्य दयनीय है;	वर्त्तमान में लक्ष्य प्राप्ति में प्रगति है। राज्य में 30% लक्ष्य को पूरा कर ली है, जिसमें हजारीबाग 33.9%, धनबाद 25.3%, राँची 21.1%, गिरिडीह 47.2%, जमशेदपुर 27% लक्ष्य प्राप्त है। राज्य में अबतक प्राप्त ऋण आवेदनों के 55.9% को ऋण संवितरित है, जिसमें हजारीबाग 51%, धनबाद 55.3%, राँची 46%, गिरिडीह 59.8%, जमशेदपुर 65.9% सहित कई अन्य निकाय क्षेत्रों में प्रगति हुई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में राज्य के स्ट्रीट वेंडरों को उक्त योजना का लाभ देने हेतु सभी वार्ड क्षेत्रों में कैम्प स्थापित कर निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। प्रत्येक माह के पहले सप्ताह को नगर निगम धनबाद, राँची एवं जमशेदपुर के द्वारा 'स्वनिधि से समृद्धि' शिविर आयोजित किया जा रहा है। सभी वार्ड क्षेत्रों में दिनांक–14 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 के प्रत्येक मंगलवार एवं बुधवार को निकाय में/बैंक शाखा में कैम्प स्थापित कर निर्धारित लक्ष्य को पूरा किए जाने का निदेश दिया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है। विभिन्न समाचार पत्रों में भी उक्त योजना एवं आयोजित शिविर की जानकारी दी गई है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–002/न०प्र०नि०/विधानसभा/श्री मनीष जायसवाल/प्र०सं०–01/248/2021–4041 दि०–17/12/21

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के उनके पत्रांक–2335, दिनांक–13.12.2021 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2021

सरकार के अवर सचिव।

(109)

माननीय स0वि0स0 श्री रामदास सोरेन द्वारा दिनांक 22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– पंचा– 01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला विधान–सभा क्षेत्र के गुड़ाबन्दा प्रखण्ड अंतर्गत ज्वालकाटा पंचायत में वर्ष 2011 में लगभग 25 लाख रूपये राशि से पंचायत भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ की गई थी ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। गुड़ाबंदा प्रखण्ड अंतर्गत सिंहपुरा ग्राम पंचायत के ज्वालकाटा गांव में वित्तीय वर्ष 2009–10 में पंचायत भवन का निर्माण कार्यकारी ऐजेन्सी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुड़ाबन्दा के द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया था। जिसकी प्राक्कलित राशि 22,78,200. 00 रू0 हैं।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड– 01 में वर्णित भवन के निर्माण कार्य की राशि की निकासी संबंधित संवेदक एवं अभियंताओं की मिलीभगत कर उक्त कार्य को अबतक अधूरी छोड़ दी गई है;	अस्वीकारात्मक। कार्यकारी ऐजेंसी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुड़ाबंधा के द्वारा पंचायत भवन निर्माण कार्य अभिकर्ता विरसा भगत, जनसेवक धालभूमगढ़ प्रखण्ड के माध्यम से कराया जा रहा था। अभिकर्त्ता के मृत्यू के कारण वर्षो से पंचायत भवन अधूरा हैं। अभिकर्त्ता को 16,07,560.00 रू0 भुगतान किया जा चुका हैं, जिसके आलोक में उनके द्वारा 12,12,282.00 रू0 का मापी विपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभिकर्त्ता से वसूलनीय राशि 3,95,278.00 रू0 मात्र है। राशि वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।
(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में वर्णित भवन के अबतक अधुरा रहने के कारण उक्त पंचायत में पंचायत से संबंधित कार्यो का संचालन अव्यवस्थित रूप से हो रही है। जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है;	पंचायत भवन अधूरा रहने के कारण पंचायत से संबंधित सभी कार्य पुराने पंचायत भवन से सुचारू रूप से चल रहा है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–1 में वर्णित भवन के अधुरें कार्य को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नव निर्मित पंचायत भवन का भूतल का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। पंचायत सचिव को नव निर्मित पंचायत भवन में कार्यालय सिफ्ट करने हेत निदेशित किया गया है। प्रथम तल का कार्य को पूर्ण कराने हेतु उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 899 दिनांक 18.09.2021 द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन के साथ 16,04,200.00 रू0 के आवंटन की मांग की गयी है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची– 834004
(panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com)

ज्ञापांक:– 01 स्था (वि0स0)–80/2021 2542 /, राँची, दिनांक:–21.12.2021

प्रतिलिपि:– 125 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 2487 दिनांक 15.12.2021 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 01 स्था (वि0स0)–80/2021 2542 /, राँची, दिनांक:–21.12.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

20/12/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 01 स्था (वि0स0)–80/2021 2542 /, राँची, दिनांक:–21.12.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/12/21
सरकार के उप सचिव।

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–07 (110)

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के सदर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम–लहलहे–डूबलगंज तथा कुटमू के बीच ओरंगानदी पर पुल के अभाव में ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाईयाँ हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पुल की आवश्यकता सरकार ने भी महसूस किया है तथा आगामी वित्तीय वर्ष में बजटीय उपलब्धता के आधार पर चयनित करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु आज तक वह पुल के निर्माण पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका ;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए इसी वित्तीय वर्ष में उक्त पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय स०वि०स० से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में गढ़वा जिला के भण्डरिया प्रखण्ड अंतर्गत मदगड़ी से घसनी ग्राम जाने के बीच रेघवा नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। माननीय स०वि०स० से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेत्तर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि०स०)–125/2021/ग्रा०का० 2395 राँची, दिनांक– 21-12-2021
प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र0–2371 वि०स० दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 7 (वि०स०)–125/2021/ग्रा०का० 2395 राँची, दिनांक– 21.12.2021
प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 7 (वि०स०)–125/2021/ग्रा०का० 2395 राँची, दिनांक– 21.12.2021
प्रतिलिपिः– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

111

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 01 का उत्तर :–

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चास प्रखण्ड के बनसिमली, सतनपुर, सिजुआ, राधानगर, चैनपुर, सुनता, घटियाली पूर्वी, घटियाली पश्चिमी, सोनाबाद, चाकुलिया, भंडरो, उलगोडा, गोपालपुर, काशीझरिया, नरकेरा, करहरिया, नारायणपुर एवं विस्थापित क्षेत्र के सभी बचे हुए गाँव और नन सेक्टर माराफारी था सभी शहरी स्लम क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत पाईपलाईन से पेयजलापूर्ति की योजना संचालित नहीं है;	बोकारो विधान–सभा अन्तर्गत BSL (Bokaro Steel Ltd.) द्वारा अधिगृहित क्षेत्र तथा चास नगर निगम अन्तर्गत शहरी क्षेत्र को छोड़कर जलापूर्ति योजना से अनाच्छादित सभी ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत यथा सतनपुर, सिजुआ, राधानगर, चैनपुर, सुनता, घटियाली पूर्वी, घटियाली पश्चिमी, सोनाबाद, चाकुलिया, भण्डरो, उलगोड़ा, गोपालपुर, काशीझरिया, करहरिया एवं नारायणपुर को जल जीवन मिशन अन्तर्गत पाईप जलापूर्ति योजना से आच्छादन हेतु DPR तैयार किया गया है जिसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। नरकेरा पंचायत तथा सतनपुर के तेंतुलिया ग्राम को हैसाबातु बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना से अच्छादित है, जिसमें जलापूर्ति की जा रही है। बनसिमली ग्राम BSL (Bokaro Steel Ltd.) के अधिग्रहित क्षेत्र में है। अतः बनसिमली ग्राम में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु BSL से NOC हेतु अनुरोध किया गया है, जो अबतक अप्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त सभी क्षेत्रों में पेयजल का घोर संकट है;	वर्तमान में विभागीय नलकूपों से उक्त ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजलापूर्ति की जा रही है। प्रश्न में वर्णित पंचायतों की कुल जनसंख्या– 79,733 है, जिसमें कुल 1128 अदद् चापाकल एवं 08 अदद् लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है जो विभागीय मापदण्ड के अनुसार पर्याप्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त क्षेत्रों को वृहद ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना के तहत दामोदर व इजरी नदी से पाईपलाईन से पेयजलापूर्ति करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त ग्रामीण क्षेत्रों को दामोदर नदी (जल श्रोत) द्वारा जलापूर्ति योजना से आच्छादन हेतु जल जीवन मिशन अन्तर्गत DPR तैयार किया गया है योजना की स्वीकृति हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–162/2021– 3416 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2343, दिनांक– 13.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(किशोर कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–162/2021– 3416 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(किशोर कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

(112)

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स. वि. स. द्वारा दिनांक 22.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.–पेय.–04 का उत्तर

क्रम सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री मिथिलेश ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही प्रखंड के ग्राम कारीमाटी पंचायत पंचमाधव में पीने के पानी की काफी समस्या है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि यह गाँव समुद्र तल से काफी ऊँचाई पर स्थित है एवं पथरीली जमीन होने के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा बोरिंग करने के बावजूद भी पानी नहीं मिल पाता है;	उक्त गाँव में Dry Zone होने के कारण प्रायः बोरिंग सफल नहीं होती है। माननीय विधायक के अनुशंसा पर वर्ष 2020–21 में Extra Deep Tube Well का कार्य किया गया, लेकिन असफल रहा।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में पानी मुहैया कराने हेतु डीप बोरिंग एवं टंकी निर्माण कर सभी घरों तक पानी मुहैया कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त गाँव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए वृहद कारीमाटी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का DPR तैयार कर अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, हजारीबाग द्वारा सी.डी.ओ., राँची को उपलब्ध कराया गया है। योजना तिलैया डैम से बनाई गई है जिसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/ता.प्र.–07/2021 –1275/SWSM दिनांक 21/12/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं. 2346/वि. स. दिनांक–13.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.21

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–8/ता.प्र.–07/2021 –1275/SWSM दिनांक 21/12/2021

प्रतिलिपि–सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र. – 5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.21

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

श्री संजीव सरदार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम्य–02

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री संजीव सरदार, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर जिलान्तर्गत पोटका प्रखण्ड के बांगो रोलडीह पथ पर भंगाट नाला पर पुल नहीं रहने के कारण आम ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष–2021–22 में पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय स०वि०स० से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पोटका प्रखण्ड अंतर्गत नारदा पंचायत के तुड़ग्राम में पुलिया निर्माण हेतु डी०पी०आर० तैयार कराया जा रहा है। माननीय स०वि०स० से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–128 / 2021 / ग्रा०का० 2407 राँची, दिनांक– 21-12-2021
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र0–2485 वि०स० दिनांक–15.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–128 / 2021 / ग्रा०का० 2407 राँची, दिनांक– 21-12-2021
प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–128 / 2021 / ग्रा०का० 2407 राँची, दिनांक– 21-12-2021
प्रतिलिपि:– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(114)

श्री निरल पुरती, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–15" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत जोड़ापोखर से टोन्टो भाया सिलपूंजी, थई पथ के लिए रैयतों से भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है ; 2. क्या यह बात सही है कि जोड़ापोखर से टोन्टो भाया सिलपूंजी थई की अधिसूचना जारी की जा चुकी है ; 3. क्या यह बात सही है कि भू–अर्जन के एवज में रैयतों को किसी प्रकार की भुगतान की कार्रवाई नहीं की गई है ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित सभी रैयतों को भुगतान की कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तानान्तरण के पश्चात् वर्ष 2017–18 में उक्त पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। भू–अर्जन की राशि में अत्यधिक वृद्धि के कारण परियोजना लागत में वृद्धि, समीक्षाधीन है। तत्पश्चात् प्रशासनिक स्वीकृति के पुनरीक्षण उपरान्त भू–अर्जन की आवश्यक राशि निर्गत की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–15/2021 3993(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21
प्रतिलिपि– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2488, दिनांक–15.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–15/2021 3993(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21
प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–15/2021 3993(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21
प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

115

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–10" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत तीनपहाड़–धनमियाँ के मध्य L.C No:-47 (C) R.O.B (Road Over Bridge) का निर्माण हेतु रू० 93,94,54,204/– की प्रशासनिक स्वीकृति व भूमि अधिग्रहण/हस्तानान्तरण के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पायी है ;	प्रश्नगत ROB का निर्माण deposit work के रूप में रेलवे द्वारा कराये जाने के निमित्त राशि रू० 93,94,54,204/– के लिये स्वीकृत्यादेश विभागीय पत्र संख्या 1233(S) दिनांक 27.02.2019 द्वारा निर्गत है। उक्त के विरूद्ध राशि रू० 44.56 करोड़ रेलवे को उपलब्ध करायी जा चुकी है एवं राशि रू० 30.89 करोड़ उपलब्ध कराने के निमित्त कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही उक्त ROB के पहुंच पथ हेतु भू–अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है एवं दखल–दिहानी प्राप्त है, तत्संबंधी सूचना रेलवे को दे दी गयी है।
2. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज–पश्चिमी रेलवे फाटक L.C No:-82 B/T पर R.O.B (Road Over Bridge) निर्माण योजना के निमित्त Combined GAD की स्वीकृति रेलवे द्वारा प्रदान करने तथा विभाग द्वारा प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कर रेलवे मुख्यालय भेजने के पश्चात् निर्माण हेतु स्वीकृति अप्राप्त है, जिससे साहेबगंज शहरी स्थानीय यातायात बुरी तरह प्रभावित है ;	प्रश्नगत ROB के निर्माण हेतु प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज स्टेशन–सकरीगली के मध्य L.C No:-56 T, R.O.B (Road Over Bridge) निर्माण हेतु रेलवे और विभाग के मध्य सैद्धांतिक सहमति, संयुक्त निरीक्षणोपरान्त मार्ग रेखांकन का चयन तथा पथांश का NHAI से हस्तानान्तरण विभाग को प्राप्त होने के पश्चात् भी निर्माण हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो पायी है ;	साहेबगंज स्टेशन–सकरीगली के मध्य LC No. 56T पर R.O.B निर्माण के सन्दर्भ में मार्ग रेखांकण का चयन दिनांक–19.02.2021 को संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त निर्धारित कर लिया गया है। वर्त्तमान में यह LC, NH-80 पर अवस्थित है, जिसका स्वामित्व NHAI के अधीन है। ROB के निर्माण की दिशा में अग्रेतर कारवाई, इस पथांश का हस्तानान्तरण पथ निर्माण विभाग को प्राप्त होने के उपरांत किया जाएगा।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित R.O.B का अविलम्ब निर्माण हेतु निविदा प्रकाशित करने, खण्ड–(2) में वर्णित R.O.B निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति तथा खण्ड–(3) में वर्णित R.O.B निर्माण हेतु GAD (General) Arrangement Drawing) तैयार कराने सहित प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति अविलम्ब प्रदान कर निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त रूप से कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–10/2021 3989(5) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2360, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–10/2021 3989(5) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–10/2021 3989(5) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

116

दिनांक–22.12.2021 को श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–01 का उत्तर:–

	प्रश्नकर्ता श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में अबतक स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथरिटी और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथेरिटी की बैठक सरकार द्वारा नहीं करने के कारण राज्य में लगभग 700 सौ बसों का परमिट नहीं दिया गया है जिससे सरकार को प्रतिवर्ष 63 लाख रूपये राशि की क्षति हो रही है;	–	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के हजारीबाग, पलामू, दुमका एवं सरायकेला में सरकार अबतक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी में था जो स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी में सदस्यों का मनोनयन नहीं कर पाई है जिसके कारण बसों का परमिट निर्गत करने का कार्य प्रभावित हो रही है;	–	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य हित में खण्ड–01 में वर्णित ऑथोरिटी में वर्षों से सदस्य के रिक्त पदों पर निर्धारित अहर्ता के अनुरूप सदस्य के मनोनयन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	–	मनोनयन का विषय प्रक्रियाधीन है।

manoj 21/12/21
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)– 203/2021 1210 /राँची,दिनांक 21.12.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2334, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

manoj 21/12/21
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)– 203/2021 1210 /राँची,दिनांक 21.12.2021

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

manoj 21/12/21
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

117

डॉ० नीरा यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम –11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ० नीरा यादव, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत कोडरमा प्रखण्ड के कोडरमा, गिरिडीह पथ लोकाई से रेलवे पुल तक दोनों ओर आ०सी०सी० नाला ढक्कन निर्माण नहीं होने के कारण वहाँ के स्थानीय जन के आवास में वर्षात के दिनों के पानी प्रवेश कर जाता है ;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि डोमचांच प्रखण्ड अन्तर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, दूधपनिया वाया पंचायत भवन से मुख्य पथ कटरियाटाड़ तक आर०ई०ओ० पथ तथा पचगावां मोड़ से राजपहाड़ी मोड़ तक आर०ई०ओ० पथ जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है ;	स्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि नवादा चौक से भाया घटगांव होते हुए खुटवा गैसाई तक आर०ई०ओ० पथ जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है ;	स्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित नाला एवं (2) और (3) में वर्णित आर०ई०ओ० पथ का अविलम्ब निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	माननीय स०वि०स० से प्राथमिकता के आधार पर अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में निर्माण/मरम्मति संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–871/2021 ग्रा०का०वि० 2410 राँची, दिनांक 21-12-2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा०वि०स० को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2494 दिनांक–15.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– 21/XII/21
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–871/2021 ग्रा०का०वि० 2410 राँची, दिनांक 21-12-2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/– 21/XII/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–871/2021 ग्रा०का०वि० 2410 राँची, दिनांक 21-12-2021

प्रतिलिपि– प्रशाखा–6 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/– 21/XII/21
सरकार के उप सचिव।

(118)

श्रीमती पुष्पा देवी, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक-22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-भ०-02 का उत्तर प्रतिवेदनः-

क्रम	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि० के द्वारा वर्ष 2017 में झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय भवन के निर्माण हेतु पलामू जिले के नौडीहा बाजार एवं नावा बाजार प्रखण्ड में निविदा करते हुए M/S S.K. Upadhayay, Ranka Boliya, Garhwa को कार्य आवंटित किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कार्य 15 महीने में पूर्ण कर विभाग को सौंपना था लेकिन संबंधित संवेदक एवं विभागीय लापरवाही के वजह से उक्त विद्यालय भवन का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है जिससे सरकार को राजस्व की भारी क्षति हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। कार्यपालक निदेशक, भवन निर्माण निगम, राँची के पत्रांक-2294 दिनांक-15.12.2021 द्वारा प्रतिवेदित है कि पी०आई०यू०, पलामू ने अपने पत्रांक-152, दिनांक -07.06.2021 द्वारा संवेदक को कार्य को पूर्ण करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। कार्य में विलंब के कारण एकरारनामा के आलोक में दंड स्वरुप Penalty लगाया जा रहा है। झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय, नवडीहा बाजार, पलामू का निर्माण कार्य 46% एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय नावाँबाजार, पलामू का निर्माण कार्य 42% पूर्ण किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित विद्यालय भवन को पूर्ण कराते हुए दोषी पदाधिकारियों/संवेदक पर कारवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	निर्माण कार्य में विलंब के लिए निगम के पत्रांक-2266 दिनांक-13.12.2021 द्वारा संवेदक को डिबार किया जा चुका है।

17/12/21
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक- भ०-03-विधायी-(ता०प्र०भ०-02)-29/21:-3402(01)   राँची, दिनांक- 17-12-21

प्रतिलिपि-श्री सरोज कुमार, अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक-2340 वि०स० दिनांक -13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ प्रतियों में)सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/12/21
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

119

श्री रामदास सोरेन, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक-22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0-भ0-04 का उत्तर प्रतिवेदनः-

क्रम	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016-17 में पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला विधान-सभा क्षेत्र के गुड़ाबन्दा प्रखण्ड के ज्वालकाटा पंचायत में सरकार द्वारा झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय के भवन निर्माण का आदेश दिये जाने के उपरान्त उक्त भवन का कार्य शुरू की गई थी, जिसकी पूरी राशि की निकासी कर सम्बन्धित संवेदक एवं अभियन्ताओं की मिली-भगत एवं लापरवाही के कारण ही उक्त कार्य अबतक लम्बित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक-2382नि0 दिनांक-18.12.2021 द्वारा प्रतिवेदित है कि 2016-17 में पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला विधान सभा क्षेत्र के गुड़ाबंदा प्रखण्ड के ज्वालाकाटा पंचायत में सरकार द्वारा झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्कूल भवन एवं छात्रावास भवन की संरचना का अधिकांश कार्य पूर्ण है। जिसमें एकरारित राशि रू0 424.69 लाख के विरूद्ध संवेदक को कराए गए कार्य के अनुरूप केवल रू0 222.56 लाख का भुगतान किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित विद्यालय में लगभग 350 छात्राएं अध्ययनरत है जिसे उक्त विद्यालय के निर्माण कार्य आधी-अधूरी होने के कारण उक्त विद्यालय के सभी छात्राओं को धालभूमगढ़ प्रखण्ड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हस्तांतरित कर दी गई है, जहाँ छात्राओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण उक्त छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक-2440 दिनांक-20.12.2021 द्वारा प्रतिवेदित है कि झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय गुड़ाबान्दा वर्त्तमान में कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय धालभूमगढ़ में संचालित है। कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय धालभूमगढ़ में झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय गुड़ाबान्दा के बच्चियों के आवासन की आवश्यक व्यवस्था की गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड-1 में वर्णित विद्यालय भवन में वर्षों से लम्बित कार्यों की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त भवन का अधुरे निर्माण कार्यो को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निर्माण कार्य में विलंब के लिए झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पत्रांक-1833नि0 दिनांक-11.10.2021 द्वारा संवेदक को डिबार किया जा चुका है। छः माह के अन्दर कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

अ० ह०
21/12/21
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

क्र०पृ०उ0.........2/-

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक- भ0-03-विधायी-(ता0प्र0भ0-04)-32/21........3415(अ) रॉची, दिनांक- 21-12-21

प्रतिलिपि-श्री सरोज कुमार, अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक-2483 वि0स0 दिनांक-15.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ प्रतियों में)सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, रॉची।

दिनांक–22.12.2021 को माननीय स०वि०स० श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा सदन में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद,हैदरनगर, मोहम्मदगंज हरिहरगंज व पिपरा प्रखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना Hindustan Steel Works Construction Limited (HSCL) द्वारा जपला मोहम्मदगंज पीच रोड से पंसा,जपला से पथरा,हैदरनगर से सोबा सहित 27 सड़कों का निर्माण कराया गया है ;	स्वीकरात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित HSCL द्वारा निर्माण कराए गए सड़कों की स्थिति घटिया गुणवत्ता होने के कारण एकदम जीर्ण–शीर्ण हो गई है, जिससे आवागमन दूभर हो गया है, जबकि सड़कों के निर्माण कार्य पूर्ण हुए मात्र 03 से 04 वर्ष ही व्यतीत हुए है;	अस्वीकरात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि सड़कों के निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि से 5वर्षो तक सड़कों का देखरेख व मरम्मति की जिम्मेवारी संबंधित एजेंसी की होती है ;	स्वीकरात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सड़कों के निर्माण में घटिया गुणवत्ता के लिए दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के साथ ही सभी सड़कों का वृहद मरम्मत कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	HSCL द्वारा निर्मित उक्त पथों में गुणवत्ता जाँच समय–समय पर SQM/NQM द्वारा कराया गया है जिसका प्रतिवेदन संतोषजनक है। उक्त सभी निर्मित पथों का कार्य समाप्ति के उपरांत पाँच वर्षों तक मरम्मति कार्य कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :–05(वि०स०–12)–860/2021 ग्रा०का०वि०......2408........ राँची/दिनांक–21-12-2021

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2365 वि०स०, दिनांक–13.12.21 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि०स०–12)–860/2021 ग्रा०का०वि०......2408........ राँची/दिनांक–21-12-2021

प्रतिलिपिः– मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि०स०–12)–860/2021 ग्रा०का०वि०......2408........ राँची/दिनांक–21-12-2021

प्रतिलिपिः– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(121)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–01" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत सिद्धनाथ गेट, जपला से नवीनगर, बिहार सिवाना तक तथा नहरमोड़ जपला से पिपरा होते हुए दुबटिया एनएच–98 तक सड़कों की स्थिति काफी जीर्णो–शीर्णो हो गई है, जिससे आवागमन दूभर हो गया है तथा आए दिन दुर्घटनाएं होते रहते है ; 2. क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित दोनों सड़कें प्रशासनिक एवं जनहित में अति महत्वपूर्ण है ;	सिद्धनाथ गेट, जपला से नवीनगर, बिहार सिवाना तक पथ का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग के अधीन है। उक्त पथ में आवश्यक मरम्मति कार्य वित्तीय वर्ष 2020–21 में कराया गया है। नहर मोड़, जपला से पिपरा होते हुये दुबटिया (NH-98) पथ का स्वामित्व ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है।
3. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत पथ निर्माण विभाग से छत्तरपुर–जपला पथ बेनीकला से सवानों होते बिहार सिवाना तक 15.203 कि०मी० पथ का निर्माण मार्च 2021 में पूर्ण कराया गया है, परंतु घटिया गुणवत्ता होने के कारण मात्र 06 माह में ही सड़क में जगह–जगह गड्ढे होने लगे हैं तथा कई जगहो पर सड़क में दरारें आ गई है ;	PMGSY अंतर्गत RCPLWE (Road Connectivity Project in Left Wing Extremism Area) योजना के अधीन छत्तरपुर–जपला पथ बनकेरा से सबानो होते हुये बिहार सिवाना पथ का निर्माण कराया गया है जो जून, 2021 में पूर्ण हुआ है। निर्माण के क्रम में उक्त की गुणवत्ता की जांच विभिन्न एजेन्सियों यथा SQM (State Quality Monitors) एवं NQM (National Quality Monitors) द्वारा की जाती रही है। वर्तमान में पथ कार्य Defect Liability Period (DLP) में है। इस अवधि में पथ कार्य में defect के सुधार का दायित्व संबंधित संवेदक का है, जिसे आवश्यकतानुसार कराया जा रहा है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत सिद्धनाथ गेट, जपला से नवीनगर, बिहार सिवाना तक तथा नहरमोड़ जपला से पिपरा होते हुए दुबटिया एनएच–98 तक सड़कों की मरम्मति कराने तथा छत्तरपुर–जपला पथ बेनीकला से सवानों होते हुए बिहार सिवाना तक पथ निर्माण के घटिया गुणवत्ता का उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–01/2021 3982 (S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2351, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–01/2021 3982 (S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–01/2021 3982 (S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–09

(122)

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागाँव प्रखण्ड के आंगो पंचायत में अंबाटोला एवं चेलंगदाग के बीच स्थित हहारो नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पुल का निर्माण नहीं होने के कारण चेलंगदाग, फटरियापानी, झिकझोर, अंबाटोला, बटुका, बुंडू जराटांड़, सुखलकठवा एवं पचंडा समेत कई गाँव के स्थानीय आमजनों के साथ–साथ छात्राओं को बारिश के दिनों में विद्यालय आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़कागाँव प्रखंड के आंगो पंचायत में अंबाटोला एवं चेलंगदाग के बीच हहारो नदी पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में रामगढ़ जिला के पतरातू प्रखण्ड अंतर्गत बीचा पंचायत में ग्राम लेम से आराशाह पथ के बीच सिमरा नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–123/2021/ग्रा0का0 2396 राँची, दिनांक– २१-१२-२०२१

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2373 वि0स0 दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–123/2021/ग्रा0का0 2396 राँची, दिनांक– २१-१२-२०२१

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–123/2021/ग्रा0का0 2396 राँची, दिनांक– २१-१२-२०२१

प्रतिलिपिः– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

123

श्री उमाशंकर अकेला, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–08" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के ग्राम पदई एन०एच०–2 से कमलवार, अम्बाजीत, बरहमौरिया, अमझर, कठम्बा, मगहर, पासातरी तक लगभग 25–कि०मी० सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग से कराया गया है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क का निर्माण हुए लगभग 12–वर्षों हो गये हैं एवं वर्तमान में सड़क की स्थिति काफी जर्जर है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क को पथ निर्माण विभाग के द्वारा अधिग्रहण कर सरकार सड़क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है। पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–08/2021 3988(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2358, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–08/2021 3988(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–08/2021 3988(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

124

श्री दिनेश विलियम मरांडी, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक-22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-भ०-03 का उत्तर प्रतिवेदनः-

क्रम	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण निगम द्वारा पाकुड़ जिला के प्रखंड-लिट्टीपाड़ा में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए Tender निकाला गया जिसका Tender Ref No-JSBCCL/24/20-21 है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त निविदा M/S नव जीवन कंस्ट्रक्शन हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची के पक्ष में निष्पादित हुई है, निविदा निष्पादन की तिथि से 28 या 21 दिनों के अन्दर Agreement करना अनिवार्य है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त निविदा का निष्पादन 14/06/2021 को हो चुका है और आज भी निविदा का Agreement नव जीवन कंस्ट्रक्शन के द्वारा नहीं की गई है;	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, के पत्रांक-2295नि० दिनांक-15.12.2021 द्वारा प्रतिवेदित है कि दिनांक-14.06.2021 को निविदा की प्रक्रिया के उपरांत कार्य संवेदक मेसर्स नव जीवन कन्सट्रक्शन हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची को आवंटित किया गया है। प्रबंधक पी०आई०यू०, पाकुड़ के पत्रांक-62, दिनांक-22.06.2021 एवं पत्रांक-84, दिनांक-06.08.2021 द्वारा एकरारनामा करने हेतु पत्र दिया गया है। इस कार्य हेतु आवंटित भूमि पूर्ण रूप से पहाड़ है। इस योजना के वास्तुविद् The Group ने अपने पत्रांक-शून्य, दिनांक-18.09.2021 द्वारा स्थल का सर्वेक्षण कराकर उसके आधार पर प्रतिवेदित किया है कि स्थल का Hill Top 101.194 मीटर एवं Hill Bottom 84.6 मीटर है। इस तरह Level में लगभग 55 फीट का अंतर है। जिस कारण परामर्शी The Group के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्थल पर निर्माण कार्य कराया जाना संभव नहीं है। तदालोक में इस कार्यालय के पत्रांक-1836, दिनांक-28.10.2021 के निदेश के आलोक में प्रबंधक, पी०आई०यू०, पाकुड़ द्वारा दिनांक-20.10.2021 को अन्य स्थल चयन हेतु उपायुक्त, पाकुड़ से पत्राचार किया गया है, परंतु अभी तक उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हुई है।

4.	क्या यह बात सही है कि कार्यपालक निदेशक, भवन निर्माण निगम एवं नव जीवन कंस्ट्रक्शन के द्वारा घोर अनियमितता किया गया है, क्योंकि 06 (छह) माह बीत जाने के बाद भी Agreement नहीं हुआ है;	भवन निर्माण के लिए अन्य स्थान पर उपयुक्त भूमि नहीं मिलने के कारण संवेदक द्वारा एकरारनामा नहीं कि[illegible] गया है। संवेदक मेसर्स नव जीवन कन्सट्रक्शन हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची ने अपने पत्रांक–NC/031/21-22 दिनांक–09.11.2021 द्वारा अनुरोध किया गया है कि निविदित योजना 2018 के Schedule पर अधारित है। वर्तमान निर्माण सामग्री तथा मजदूरों की मजदूरी दर में वृद्धि होने के कारण आवंटित कार्य को रद्द कर जमा अग्रधन राशि वापस करने की माँग संवेदक द्वारा की गई है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित दोनों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध होने पर पुनर्निविदा कर कार्य को प्रारंभ करने की कार्रवाई की जायेगी।

17/12/21
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक– भ0–03–विधायी–(ता0प्र0भ0–03)–30/21 3401(अ) राँची, दिनांक– 17-12-21

प्रतिलिपि–श्री सरोज कुमार, अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–2341 वि0स0 दिनांक –13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ प्रतियों में)सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/12/21
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

(125)

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम्य –01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव विधान सभा क्षेत्र के केरेडारी प्रखंड मुख्यालय से हेंदेगीर वाया सलगा, हफुआ, बुंडू तक जाने वाली मुख्य सड़क अति जर्जर स्थिति में है ;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि अति उग्रवाद क्षेत्र होने तथा सड़क जर्जर होने के कारण उक्त क्षेत्र के आसपास निवास कर रहे एक अच्छी आबादी को प्रखंड मुख्यालय आवागमन में काफी कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य केरेडारी प्रखंड मुख्यालय से हेंदेगीर वाया सलगा, हफुआ, बुंडू तक जाने वाली मुख्य सड़क का जीर्णोद्धार तथा चौड़ीकरण यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?	प्रश्नाधीन पथ का प्राक्कलन PMGSY-III अन्तर्गत प्रस्तावित है। भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–863/2021 ग्रा0का0वि0 2411 रॉंची, दिनांक 21-12-2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2342 दिनांक–13.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–863/2021 ग्रा0का0वि0 2411 रॉंची, दिनांक 21-12-2021

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–863/2021 ग्रा0का0वि0 2411 रॉंची, दिनांक 21-12-2021

प्रतिलिपि– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री सुदिव्य कुमार, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–06" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि एशियाई डेवलमेंट बैंक के वित्तिय सहयोग से गिरिडीह में बाईपास रोड का निर्माण किया जाना था ;	गिरिडीह बाईपास के निर्माण (भू–अर्जन सहित) हेतु झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से पथ निर्माण विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी। जिसके दरम्यान ही भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को चयनित कर लिया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक योजना अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गिरिडीह बाईपास हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत् DPR सूत्रण तथा भू–अर्जन हेतु परामर्शी नियुक्त किया जा चुका है। मंत्रालय द्वारा मार्ग रेखाकण तथा DPR की स्वीकृति के पश्चात् भू–अर्जन के सन्दर्भ में अग्रेतर कार्रवाई अपेक्षित होगी।
2. क्या यह बात सही है कि आठ साल पूर्व इस कार्य हेतु 34–मौजो का जमीन चिन्हित किया गया था ;	
3. क्या यह बात सही है कि वर्णित कार्य में भूमिअधिग्रहण हेतु 19–करोड़ रूपया जिला भू–अर्जन कार्यालय में वर्षों से जमा पड़ा हुआ है ;	
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए गिरिडीह में बाईपास सड़क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–06/2021 3997(5) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2356, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–06/2021 3997(5) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची। राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–06/2021 3997(5) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची। राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–03 का उत्तर

127

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक–2126, दिनांक–21.09.2015 द्वारा राज्य के मात्र 06 जिले यथा धनबाद, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, दुमका एवं गोड्डा में पोषण सखी का चयन किया गया है, जिन्हें 3000/– रुपया प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाना है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कार्य मार्ग दर्शिका के विपरीत इन सबों से निर्वाचन कार्य, फाइलेरिया उन्मूलन, मास ड्रग एडमिनिशट्रेशन कार्यक्रम, कोविड–19, आदि का कार्य समय–समय पर सरकार द्वारा लिया जाता है। वर्णित कार्य में सहयोग करने के बावजूद विगत एक वर्ष से इन सबों को मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पोषण सखी को मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या–2126, दिनांक–21.09.2015 द्वारा राज्य के छः जिलों में अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का चयन केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का मानदेय बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में पोषण सखी के मानदेय भुगतान की कार्रवाई लंबित है। अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) की सेवा बनाये रखने एवं इन्हें राज्य संसाधन से मानदेय भुगतान करने संबंधी मामला सम्प्रति विभागान्तर्गत विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म०स०/विधान सभा– 493/2021 –2444 रॉंची, दिनांक : 21-12-2021

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को उनके पत्र सं०– 2484/ वि०स० दिनांक–15.12.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.21

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

(128)

डॉ० इरफान अंसारी, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–02" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के सीमा के लहरजोरी मुरलीपहाड़ी भाया नारायणपुर नावाडीह सड़क जो सीधा गोविंदपुर साहिबगंज राज्य मार्ग से जोड़ने वाली अति महत्वपूर्ण सड़क है ; 2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित सड़क देवघर, मधुपुर, चितरा के लोगों को धनबाद और गिरिडीह जाने के लिए सीधे जोड़ती है जिससे दूरी भी कम होगी जो अति महत्वपूर्ण है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अतिमहत्वपूर्ण सड़क को पथ निर्माण विभाग से निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है। अग्रिम योजना के तहत् पथ निर्माण विभाग द्वारा "Shelf of Scheme" तैयार करने हेतु सर्वेक्षण की कार्रवाई प्रगति में है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध/अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी समय में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–02/2021 3983(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2352, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12

सरकार के अवर सचिव।

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–02/2021 3983(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12

सरकार के अवर सचिव।

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–02/2021 3983(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

129

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम –03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि माण्डू विधान सभा क्षेत्राधीन हजारीबाग जिला में निम्नांकित पथों की स्थिति अत्यन्त जर्जर एवं दयनीय है, जिससे आवागमन में काफी असुविधा होती है :– 1. हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत हॉस्पिटल चौक से बागेश्वरी मन्दिर भाया गोबिन्दपुर तक। 2. हजारीबाग जिला के टाटीझरिया प्रखण्ड अन्तर्गत एम0एच0–100 के होलंग चौक से धरनपुर भाया डुंगो, खरिका तक। 3. हजारीबाग जिला के चुरचू प्रखण्ड अन्तर्गत नानो मोड़ से कोनार नदी तक।	आंशिक स्वीकारात्मक
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त पथों का सुदृढ़ीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष –2021–22 में राज्य सम्पोषित योजनान्तर्गत मा0स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दो पथों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। क्रमांक–1 पर अंकित पथ की अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। क्रमांक–2 पर अंकित पथ के मरम्मति कार्य की स्वीकृति पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत प्रदान की गयी है। निविदा के उपरांत कार्य कराया जा सकेगा। क्रमांक–3 पर अंकित पथ PMGSY-III अंतर्गत प्रस्तावित है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कार्य कराया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–857/2021 ग्रा0का0वि0 2414 राँची, दिनांक 21.12.2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2367 दिनांक–13.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत रंजन प्रसाद) 21/XII/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–857/2021 ग्रा0का0वि0 2414 राँची, दिनांक 21.12.2021

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/XII/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–857/2021 ग्रा0का0वि0 2414 राँची, दिनांक 21.12.2021

प्रतिलिपि– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/XII/21
सरकार के उप सचिव।

130

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–12" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के बोआरीजोर प्रखण्ड अन्तर्गत खड़े बगीचा से श्रीपुर,बोआरीजोर,दोरमा चौक होते हुए ललमाटिया तक PWD सड़क की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुका है वाहन की आवागमन एवं रहगीरों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; 2. क्या यह बात सही है कि यह दो जिला मुख्यालय की सड़क को जोड़ने वाली एक मात्र सड़क है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करवाना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथांश (खड़े बगीचा–श्रीपुर –बोआरीजोर–दोरमा चौक–ललमटिया) की कुल लंबाई–31.625 कि0मी0 है। इसमें 22.205 कि0मी0 पथ निर्माण विभाग एवं 9.42 कि0मी0 ECL द्वारा रख–रखाव किया जाता है। विभाग के अधीन के पथ (22.205 कि0मी0) का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है, इसके पश्चात् स्वीकृति की कार्रवाई की जा सकेगी। शेष 9.42 कि0मी0, जिसका रख–रखाव ECL द्वारा किया जाता है, हेतु ECL को पत्र दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–12/2021 3991(5) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2362, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–12/2021 3991(5) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–12/2021 3991(5) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्रीमती पुष्पा देवी, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक-22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-"पथ-13" का उत्तर प्रतिवेदन :-

(131)

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के अतिउग्रवाद प्रभावित पलामू जिलान्तर्गत 1-पाटन बाजार चौक से चिल्होखुर्द होते हुए कुटिया मोड़ तक 2-नौडीहा बाजार बारह मोड़ से मायापुर होते हुए सुल्तानी NH-98 तक 3-सिक्की PWD पथ से बरसैता-कार्क-लोईगा होते हुए अंगरा-नावाजयपुर NH-98 तक 4- NH-98 देवताही मोड़ से बटाने डैम तक 5-पड़वा से पाटन तक एवं 6-डगरा मुख्य पथ से बिहार सीमा तक पथ काफी जर्जर अवस्था में है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथों के निर्माण करने की स्वीकृति हेतु DPR एवं feasibility Report सहित कागजात कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल डाल्टेनगंज द्वारा राज्य सरकार को भेजा जा चुका है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित पथों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न अंतर्गत 6 (छः) में से 5 (पाँच) पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है। क्रम सं०-5 में उल्लेखित पड़वा से पाटन (लंबाई-14.35 कि०मी०) पथ निर्माण विभाग अधीन है। जिसकी आवश्यक मरम्मति /उन्नयन शीघ्र कराई जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग अधीनस्थ शेष पाँच पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०-11-ता०प्र०-13/2021 3999(S) राँची/दिनांक : 20/XII/21

प्रतिलिपि- श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक-2363, दिनांक-13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 20/12
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०-11-ता०प्र०-13/2021 3999(S) राँची/दिनांक : 20/XII/21

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 20/12
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०-11-ता०प्र०-13/2021 3999(S) राँची/दिनांक : 20/XII/21

प्रतिलिपि- श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

(ह०) 20/12
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री अमित कुमार यादव, मा० स०वि०स० 132 द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–07" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिलान्तर्गत NH-33 चंदवारा से गेड़ा, कांको, चुटियारो, शरमाटांड़ होते हुए जयनगर तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य जनहित में अतिआवश्यक है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के चौड़ीकरण होने से आम जनता का आवागमन में काफी सुविधा प्राप्त होगी ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त पथ को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) से हस्तांतरित कर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कराना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है। पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–07/2021 3987(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2357, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–07/2021 3987(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–07/2021 3987(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रणव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(133)

श्री सुदेश कुमार महतो, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–16" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत बंता–राहे–बुण्डू पथ अत्यंत ही जर्जर हो चुकी है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के जर्जर होने के कारण इसमें चलने वाले वाहनों एवं यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है साथ ही आए दिन दुर्घटनाएँ भी होती रहती है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बंता–राहे–बुण्डू पथ की मजबूतीकरण के साथ मरम्मति कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	यह पथ निर्माण विभाग की पथ है। वर्ष 2017–18 में पथ का उन्नयन कार्य किया गया है। स्थलीय अवस्था के मद्देनजर पथ की आवश्यक मरम्मति/सुधार कार्य हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–16/2021 3998(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2489, दिनांक–15.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–16/2021 3998(S) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची। राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–16/2021 3998(S) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची। राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–08

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड से अलग हुए नवसृजित प्रखण्ड–रामगढ़ के लमती गाँव में पुल नहीं रहने के कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पुल की आवश्यकता को देखते हुए उक्त पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नवसृजित प्रखण्ड रामगढ़ के लमती गाँव में पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय स०वि०स० से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में गढ़वा जिला के भण्डरिया प्रखण्ड अंतर्गत मदगढ़ी से घसनी ग्राम जाने के बीच रेघवा नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। माननीय स०वि०स० से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–124/2021/ग्रा०का० 2398 राँची, दिनांक– 21.12.2021
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र0–2372 वि०स० दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–124/2021/ग्रा०का० 2398 राँची, दिनांक– 21.12.2021
प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–124/2021/ग्रा०का० 2398 राँची, दिनांक– 21.12.2021
प्रतिलिपि:– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 02 का उत्तर :–

135

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिलान्तर्गत जयनगर प्रखण्ड के घरौंजा तथा हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड के तुर्कबाद में जलमीनार का निर्माण कराया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों स्थानों पर निर्माणाधीन जलमीनार कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है, जिससे निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है;	उक्त वर्णित दोनों स्थलों पर जलमीनार का निर्माण कार्य निर्धारित मानक एवं अनुमोदित Design & Drawing के अनुरूप कराया जा रहा है एवं समय–समय पर RCC कार्य का Cube Test कराया जाता है। साथ ही योजना का निरन्तर निगरानी एवं अनुश्रवण किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त दोनों स्थानों पर निर्माणाधीन जलमीनार कार्य में बरती जा रही अनियमितता की जाँच कराते हुए दोषी व्यक्तियों को दंडित करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–163/2021– 3420 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2344, दिनांक– 13.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21
(किशोर कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–163/2021– 3420 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21
(किशोर कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

21.12.2021

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–01 का उत्तर 136–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में टेक होम राशन योजना अन्तर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं एवं 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को प्रति माह पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है, जिसे आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से बांटा जाता है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में पोषण आहार आंगनबाड़ी केन्द्रों को छः माह से उपलब्ध नहीं कराया गया है;	लाभुक वर्ग को मशीनीकृत रुप से परिष्कृत टेक होम राशन उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्द्धन संस्था के माध्यम से सूखा राशन लाभुकों तक पहुँचाया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि पोषण आहार योजना नहीं मिलने के कारण महिलाओं एवं बच्चों को भोजन में पोषण तत्वों की कमी हो रही है;	पूरक पोषाहार कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा बच्चों को पोषाहार अतिरिक्त आहार के रुप में दिया जाता रहा है एवं स्थानीय तौर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों के प्रयोग के संबंध में सेविकाओं द्वारा निरंतर जागरुक किया जाता रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य से कुपोषण समाप्त करने के लिए टेक होम राशन योजनान्तर्गत शीघ्र राशन देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?	केन्द्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 06–36 माह के बच्चों, 06–72 माह के कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं धात्‍ृ माताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 द्वारा निर्दिष्ट पोषक तत्वों की मात्रा के अनुपालन सहित टेक होम राशन स्वरुप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। सम्प्रति योजनान्तर्गत लाभुकों को झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्द्धन संस्था के माध्यम से निर्धारित टेक होम राशन नियमित रुप से उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार तत्पर है एवं प्रयासरत है। साथ ही आगामी समय में शीघातिशीघ राज्य सरकार लाभुकों को मशीनीकृत रुप से परिष्कृत, टेक होम राशन स्वरुप उपलब्ध कराने हेतु समुचित प्रयास कर रही है।

झारखण्ड सरकार

<u>महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग</u>

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा– 477/2021 –2449 राँची, दिनांक : 21-12-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2337/वि0स0 दिनांक–13.12.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.21

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

137

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक 22.12.2021 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम– 04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०सं०	प्रश्नकर्त्ता– श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरकर्त्ता–श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त का कार्यालय (जिला विकास शाखा) धनबाद द्वारा झरिया विधान सभा क्षेत्र में विधायक मद से वित्तीय वर्ष 2016– 17, 2017–18 तथा 2018–19 में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी, झमाडा को कुल ₹1,10,55,326.00 (एक करोड़ दस लाख पचपन हजार तीन सौ छब्बीस मात्र) रुपये विमुक्त कर हस्तांतरित की गयी थी।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार के संयुक्त सचिव शैल प्रभा कुजूर, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–755 दिनांक–01.03.2021 द्वारा प्रबंध निदेशक झमाडा, धनबाद को पत्राचार कर विधायक योजना के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि का डी०सी० विपत्र उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार किया गया था।	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि झमाडा द्वारा खण्ड–1 में वर्णित वित्तीय वर्षों में विमुक्त की गयी राशि का डी०सी० विपत्र सरकार के संयुक्त सचिव के पत्राचार के बाद भी उपायुक्त का कार्यालय (जिला विकास शाखा) धनबाद को उपलब्ध नहीं कराया गया है।	झमाडा कार्यालय द्वारा प्रसंगाधीन 13 योजनाओं के मापीपुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति, विपत्र, कार्यादेश, एकरारनामा की छायाप्रति निविदा आमंत्रण सूचना की प्रति एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक–17.12.2021 को समर्पित किया गया है जिसके आलोक में महालेखाकार, झारखण्ड के Website पर DC विपत्र को Upload करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित वित्तीय वर्षों का डी०सी० विपत्र विधायक मद के नोडल पदाधिकारी को शीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु कार्यकारी एजेंसी झमाडा को निर्देश देते हुए सरकार के निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक– 12 (वि०यो० / वि०स०)–10 / 2021 4519, / ग्रा०वि० राँची, दिनांक– 21/12/2021
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या– 2366, दिनांक– 13.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 12 (वि०यो० / वि०स०)–10 / 2021 4519 / ग्रा०वि० राँची, दिनांक– 21/12/2021
प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 12 (वि०यो० / वि०स०)–10 / 2021 4519, / ग्रा०वि० राँची, दिनांक– 21/12/2021
प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.21
सरकार के अवर सचिव।

(139)

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 03 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला अन्तर्गत कारो नदी से निम्नांकित प्रखण्डों को ग्रामीण जलापूर्ति योजना द्वारा जलापूर्ति किया जाना प्रस्तावित है– कर्रा प्रखण्ड के डहकेला, गोविन्दपुर जरिया ग्राम एवं रनिया प्रखण्ड के बनई, डाहु खटंगा ग्राम तथा तोरपा प्रखण्ड के फटका, कमड़ा, तपकरा ग्राम शामिल है;	स्वीकारात्मक। रनिया प्रखण्ड के बनई, डाहु तथा खटंगा ग्रामों के लिए कोयनारा एवं तोरपा प्रखण्ड के कमड़ा तथा तपकरा ग्रामों के लिए तपकरा बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजना के प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। कर्रा प्रखण्ड के डहकेला, गोविन्दपुर जरिया ग्रामों के लिए गोविन्दपुर बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजना के DPR निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। तोरपा प्रखण्ड के फटका ग्राम को एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना (SVS) से आच्छादित करने के लिए प्राक्कलन निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रस्तावित योजना का डी०पी०आर० बहुत पहले बनाया जा चुका है परन्तु अभी तक निविदा की प्रक्रिया शुरू नही की गई है, जिससे समय पर इन ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना संभव नहीं लग पा रहा है;	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त योजनाओं का निविदा शीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–164/2021– 3415 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2345, दिनांक– 13.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21

(किशोर कुमार वर्मा)

संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–164/2021– 3415 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21

(किशोर कुमार वर्मा)

संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

21.12.2021

श्री नलिन सोरेन, माननीय स. वि. स. द्वारा दिनांक 22.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.–पेय.–05 का उत्तर

क्रम सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री मिथिलेश ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखंड शिकारीपाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रखंड शिकारीपाड़ा अंतर्गत ग्राम–नवपहाड़, पंचायत–सिमानीजोर मे लगभग 500 (पाँच सौ) की आबादी निवास करती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त गाँव के लोगों को गर्मी के दिनों में जलस्रोत कम हो जाने के कारण पेयजल के लिए काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	उक्त ग्राम में कुल 06 अदद नलकूप एवं दो अदद लघु जलापूर्ति योजनाएँ अधिष्ठापित है, जो चालू अवस्था में है। गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण जलापूर्ति आंशिक प्रभावित होती है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम– नवपहाड़, पंचायत–सिमानीजोर के ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत् पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। नवपहाड़ ग्राम में जल स्तर गर्मी के दिनों में नीचे चले जाने के कारण जलापूर्ति में कठिनाई होती है। इसके निदान हेतु जल जीवन मिशन के तहद् उच्च प्रवाही नलकूप के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दो अदद लघु जलापूर्ति योजनाएँ स्वीकृत की जा रही हैं।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/ता.प्र.–08/2021 – 1274/SWSM दिनांक 21/12/2021
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं. 2347/वि. स. दिनांक–13.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक:–8/ता.प्र.–08/2021 – 1274/SWSM दिनांक 21/12/2021
प्रतिलिपि:–सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र. – 5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(14)

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–05" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि अंतर्जिला महत्व का पथ एन.एच–33 नया मोड़ से गिद्दी पथ की स्थिति अत्यन्त जर्जर अवस्था में है जो रामगढ़ एवं हजारीबाग जिलों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पथ है ;	प्रश्नगत पथ, सेन्ट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड (CCL) के स्वामित्व अधीन है। माननीय सदस्य की भावना के मद्देनजर विभागीय पत्रांक–3957(s)we दिनांक–17.12.21 द्वारा CCL प्रबंधन से उक्त पथ की विशेष मरम्मति/मजबूतीकरण हेतु अनुरोध किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि पथ की स्थिति अति जर्जर होने के फलस्वरूप आवागमन प्रभावित हो रहा है, जबकि इस पथ में कई महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों अवस्थित हैं एवं भारी वाहनो के आवागमन के कारण बराबर सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं ;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार एन.एच–33 नया मोड़ से गिद्दी पथ को विशेष मरम्मति एवं मजबूतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–05/2021 3986(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2355, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–05/2021 3986(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–05/2021 3986 (S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(142)

डॉ0 लम्बोदर महतो, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–17" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया विधानसभा क्षेत्र में (क) गंझण्डी से हुरलुंग तक भाया चतरोचट्टी 25 कि0मी0 पथ (ख) ललपनिया से रजरप्पा तक भाया बड़की पुन्नू 20 कि0मी0 पथ (ग) मकुनी टुंगरी से रजरप्पा तक भाया तिरला/महुआटांड/बड़की पुन्नू 20 कि0मी0 पथ (घ) डभातु से विनोद बिहारी महतो चौक, खुदीबेड़ा भाया केदला/हिसीम 22 कि0मी0 पथ (ङ) NH-23 दांतु से ओरमो/भगतबांधवा होते हुए बगियारी मोड़ तक 18 कि0मी0 पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण नहीं होने से लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; 2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त पथों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत सभी पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है। पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–17/2021 3994(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2490, दिनांक–15.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12

सरकार के अवर सचिव।

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–17/2021 3994(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12

सरकार के अवर सचिव।

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–17/2021 3994(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

20/12

सरकार के अवर सचिव।

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(143)

श्री दशरथ गागराई, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–14" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ पथ में अभिजीत प्लांट के पास संजय नदी पर विगत 8 वर्षों से नये पुल का निर्माण कार्य अधूरा है ; 2. क्या यह बात सही है कि ऊपर वर्णित स्थल पर पुराने संकीर्ण पुल से आवाजाही सुरक्षित नहीं है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरायकेला–खरसावाँ पथ पर संजय नदी में पुल निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	Design में परिवर्तन, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि कारणों से परियोजना लागत में वृद्धि हुई है। प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा तक कार्य सम्पादित किया गया है। प्रशासनिक स्वीकृति के पुनरीक्षण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जिसके पश्चात् शीघ्र कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–14/2021 3992(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2364, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–14/2021 3992(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–14/2021 3992(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(144)

डॉ० नीरा यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–12

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ० नीरा यादव, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत डोमचांच प्रखण्ड के भितियाही नदी पर उच्च–स्तरीय पुल के निर्माण नहीं होने के कारण दर्जनों पंचायत में आवागमन बाधित है, उक्त उच्च स्तरीय पुल एवं एप्रोच पथ के निर्माण की अनुशंसा वित्तीय वर्ष–2019–20 में की गई है ;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित उच्च स्तरीय पुल सहित एप्रोच पथ का अविलम्ब निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय स०वि०स० से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कोडरमा जिला के डोमचांच प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत ढोढाकोला में हरैया नाला (नदी) पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। माननीय स०वि०स० से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि०स०)–129 / 2021 / ग्रा०का० 2413 राँची, दिनांक– 21-12-2021
प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2496 वि०स० दिनांक–15.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– 21.12.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 7 (वि०स०)–129 / 2021 / ग्रा०का० 2413 राँची, दिनांक– 21-12-2021
प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/– 21.12.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 7 (वि०स०)–129 / 2021 / ग्रा०का० 2413 राँची, दिनांक– 21-12-2021
प्रतिलिपिः– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/– 21.12.21
सरकार के अवर सचिव।

(145)

श्री जिगा सुसारन होरो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–10

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत सिसई प्रखण्ड के पुसो पंचायत की दूरी प्रखण्ड मुख्यालय से 25 कि०मी० है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्णित पंचायत प्रखण्ड बनाने की सभी अहर्ताएँ पूरी करती है तथा पुसो पंचायत को प्रखण्ड का दर्जा देने से विकास तेज गति से होगी;	उपायुक्त, गुमला के पत्रांक–575 दिनांक–20.12.2021 के प्रतिवेदनानुसार प्रश्नाधीन पुसो प्रखण्ड की जनसंख्या–28924 एवं पंचायतों की संख्या–04 है, जो विभागीय संकल्प सं०–5495 दिनांक–16.10.2015 में निहित जनसंख्या–1.25 लाख एवं पंचायतों की संख्या कम–से–कम 18 की अर्हता पूर्ण नहीं करता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पुसो पंचायत को प्रखण्ड बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	यथा खण्ड–2

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि०स०–43/2021/ग्रा०वि० 4532, राँची, दिनांक– 21/12/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा० वि० स० सचिवालय को उनके ज्ञाप–2493 दिनांक–15.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 21/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि०स०–43/2021/ग्रा०वि० 4532, राँची, दिनांक– 21/12/2021

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 21/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि०स०–43/2021/ग्रा०वि० 4532, राँची, दिनांक– 21/12/2021

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 21/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

श्री केदार हजरा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 08 का उत्तर :–

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के ग्राम–कुरहोबिन्दों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु 20.03.2017 को पेयजल संकट दूर करने हेतु पानी टंकी का निर्माण कराया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय संवेदक एवं अधिकारियों के उदासीन रवैया के कारण यह योजना प्रारम्भ नहीं किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि योजना माह मार्च 2019 से चालु है एवं जलापूर्ति की जा रही है। परन्तु Electricity के Low Voltage होने के कारण जलापूर्ति बाधित होती है। इस समस्या के समाधान हेतु प्रमण्डल द्वारा Stabilizer लगाने की कार्रवाई की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में निहित पानी टंकी का कार्य पूर्ण नहीं होने से स्थानीय जनता को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। पानी टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण है। कुरहोबिन्दों ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अतिरिक्त 02 अदद् लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना तथा 32 अदद् नलकूप द्वारा पेयजलापूर्ति की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कुरहोबिन्दों पेयजल आपूर्ति योजना को प्रारम्भ करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–167/2021– 3417 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2350, दिनांक– 13.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21

(किशोर कुमार वर्मा)

संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–167/2021– 3417 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21

(किशोर कुमार वर्मा)

संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

21.12.2021

147

श्री कोचे मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम –06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कोचे मुण्डा, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला अन्तर्गत तोरपा प्रखण्ड के सोन्दारी पंचायत स्थित गोरबेड़ा से गुमपीला तक सड़क की स्थिति जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है ;	आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के बन जाने से ग्रामीणों को आने–जाने में सुविधा प्राप्त होगी है ;	स्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ बन जाने से क्षेत्र में चहमुखी विकास हो सकेगा ;	स्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष मे प्राथमिकता के आधार पर उक्त पथ का मजबूतीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है, हॉं, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?	प्रश्नाधीन पथ गोरबेरा से उनकुआं भाया गुमपीला पथ जिसकी लम्बाई– 4.620 कि0मी0 है, PMGSY (RCPLWEA) के द्वारा वर्ष 2021–22 में पूर्ण कराया गया है। इस पथ से एक कच्चा पथ निकलता है जिसमें गुमपीला मुण्डा टोली एवं सदान टोली पड़ता है। विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में इस शेष पथांश के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–856 / 2021 ग्रा0का0वि0......2415........रॉंची, दिनांक 21.12.2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2370 दिनांक–13.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/XII/21

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–856 / 2021 ग्रा0का0वि0......2415........रॉंची, दिनांक 21.12.2021

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/XII/21

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–856 / 2021 ग्रा0का0वि0......2415........रॉंची, दिनांक 21-12-2021

प्रतिलिपि– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/XII/21

सरकार के उप सचिव।

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न–02 का उत्तर –

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखण्ड के नावाडीह कला के विश्वविद्यालय परिसर के निकट सांई धाम का निर्माण सार्वजनिक रूप से किया गया है जो सांई ट्रस्ट के अंतर्गत तथा सरकार से निबंधित है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रत्येक माह यहाँ सैकड़ों शादियां/विवाह हुआ करता है, जबकि उक्त स्थल पर विवाह मंडप तथा अतिथियों के ठहरने के लिए भवन नहीं है, जबकि उक्त स्थान नगर परिषद विश्रामपुर में पड़ता है तथा राशि भी उपलब्ध है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरकारी विवाह मंडप तथा अतिथि भवन का निर्माण नगर परिषद, विश्रामपुर द्वारा कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत स्थल साईं ट्रस्ट के स्वामित्वाधीन है। इस स्थल पर विश्रामपुर नगर परिषद द्वारा विवाह मण्डप एवं अतिथि भवन का निर्माण कराने पर इसके संचालन एवं राजस्व संग्रहण में तकनीकी समस्या आ सकती है। उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत विश्रामपुर नगर परिषद हेतु दो विवाह मण्डप की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाने वाली है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:– 5/न०वि०/तारांकित–30/2021 4080 रॉंची, दिनांक– 21/12/21

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञाप सं०प्र०–2336 दिनांक–13.12.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, विधायी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

149

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 07 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पाण्डू प्रखण्ड अन्तर्गत पाण्डू पेयजल निर्माण योजना का कार्य गत 2018 से प्रारम्भ है परन्तु अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि पाण्डु ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति वर्ष 2018 में दी गयी है। परन्तु Covid-19 के कारण योजना के निर्माण कार्य की प्रगति बाधित हुई है।
2.	क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा घटिया किस्म का निर्माण कार्य किया गया है। तथा जानबुझकर निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। जहाँ तक योजना में प्रयुक्त सामग्रियों के गुणवत्ता के प्रश्न है तो योजना में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों यथा Coarse aggregate, fine aggregate एवं Cement के Test तथा Concrete के Cube Test के उपरान्त ही निर्माण कराया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन संवेदक एवं पदाधिकारी की मिली भगत से तैयार किया है जो सरकारी राशि का गबन एवं प्राक्कलन का दुरूपयोग है;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्तमान संवेदक एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–166/2021– 3413 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2349, दिनांक– 13.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21

(किशोर कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–166/2021– 3413 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21

(किशोर कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

(150)

दिनांक–22.12.2021 को माननीय स०वि०स० श्री नलिन सोरेन द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–05 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड–रानेश्वर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है :	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि PWD पथ दुमका रामपुरहाट के मोलपहाड़ी से कदना तक (भाया रानबनी, REO Road) लगभग 3–00 कि०मी० जर्जर हो गया है :	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पथ के जर्जर होने के कारण भारी वाहन, दुपहीया वाहन व पैदल आवागमन करने वालों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, तथा आये दिन दुर्घटनाओं के शिकार भी होते रहता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चालु वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त पथ का मरम्मतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2021–22 में मा० स०वि०स० श्री नलिन सोरेन से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सम्पोषित योजना अन्तर्गत निम्नांकित पथों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है :– 1. कैरासोल से आर०ई०ओ० रोड आसनपहाड़ी भाया काठीकुण्ड बाजार तक पथ का निर्माण कार्य – 5.25 कि०मी०। 2. पोखरिया से भुरकीपहाड़ी तक पथ निर्माण कार्य – 3.500 कि०मी०। मा०स०वि०स० से विषयांकित योजना की अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–858/2021 ग्रा०का०वि० 2402 राँची/दिनांक– 21.12.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2369, दिनांक–13.12.2021 के क्रम में, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–858/2021 ग्रा०का०वि० 2402 राँची/दिनांक– 21.12.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–858/2021 ग्रा०का०वि० 2402 राँची/दिनांक– 21.12.2021

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

151 (15)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–09" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत कर्रा खूँटी मुख्य मार्ग पर एक रेलवे फाटक है ;	वर्त्तमान में प्रश्नगत् आर०ओ०बी० की योजना विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य की भावना के मद्देनजर रेलवे तथा पथ निर्माण विभाग का संयुक्त निरीक्षण कराया जाएगा।
2. क्या यह बात सही है कि ट्रेनों का परिचालन के समय फाटक बन्द रहने के कारण आवागमन बाधित होता है, जिसके कारण मुख्य मार्ग में जाम लगने से स्थानीय लोगों को कठिनाई होती है ;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कर्रा, खूँटी मुख्य मार्ग के रेलवे फाटक पर फ्लाई ओवर निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–09/2021 4000(S) राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– श्री सरोज कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2359, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/12

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–09/2021 4000(S) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/12

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–09/2021 4000(S) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
राँची/दिनांक : 20/xii/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

(हस्ताक्षर) 20/12

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

152

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 22.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 06 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना तथा साहेबगंज ग्रामीण मेगा पेयजलापूर्ति योजना का निर्माण 10 वर्षों से निर्माणाधीन है, जिससे स्थानीय आमजन अभी तक शुद्ध पेयजल से वंचित है;	वस्तुस्थिति यह है कि साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना का कार्य वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ हुआ था। योजना का कार्य 76% तक पूर्ण कर लिया गया है। परन्तु योजना का मुख्य अवयव Intake Well बंदरगाह क्षेत्रान्तर्गत में चले जाने के फलस्वरूप गंगा नदी में अन्य स्थल का चयन किया गया। अन्य स्थल के लिए Inland Waterways Authority of India (IWAI) से NOC दिनांक– 15.12.2020 को मिलने के उपरान्त Floating Barge निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2022 के अन्त तक योजना पूर्ण करने का लक्ष्य है। साहेबगंज मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य वर्ष 2012–13 से प्रारम्भ हुआ था। इस योजना अन्तर्गत राजमहल एवं बरहेट प्रभाग से जलापूर्ति योजना का निर्माण कर जलापूर्ति की जा रही है। साहेबगंज प्रभाग अन्तर्गत जलशोध संस्थान का निर्माण पूर्व में प्रस्तावित रेलवे की जमीन पर कराया जाना था परन्तु रेलवे से NOC नहीं मिलने के कारण निर्माण नहीं हो पाया। वर्तमान में वैकल्पिक स्थल प्राप्त होने के उपरान्त योजना का पुनरीक्षण प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत महासिंगपुर पेयजल आपूर्ति योजना से स्थानीय आमजन लाभ पाने से वंचित है, जिसका निर्माण 04 वर्षों से लंबित है;	साहेबगंज जिला के राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत महासिंगपुर एवं निकटवर्ती गाँवों को SVS योजना से आच्छादन करने हेतु प्राक्कलन का निर्माण अंतिम चरण में है। वर्तमान में राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत महासिंगपुर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के कुल 60,059 आबादी हेतु जलापूर्ति की स्थिति निम्न है :– 1. 01 अदद् 20,000 लीटर क्षमता की टंकी से जलापूर्ति की जा रही है। 2. 03 अदद् 4,000 लीटर क्षमता की टंकी से जलापूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त 03 अदद् PVTG योजना एवं 827 अदद् नलकूपों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत राधानगर पेयजल आपूर्ति योजना से स्थानीय आमजन शुद्ध पेयजल के लाभ पाने से वंचित है;	साहेबगंज जिला के उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत राधानगर एवं बेगमगंज निकटवर्ती गाँवों को SVS योजना से आच्छादन करने हेतु प्राक्कलन का निर्माण अंतिम चरण में है। वर्तमान में उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत राधानगर एवं बेगमगंज निकटवर्ती गाँवों के कुल 96,517 आबादी हेतु 4,000 लीटर क्षमता के 02 अदद् लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं 05 अदद् SC/ST योजना के अतिरिक्त 465 अदद् नलकूपों से पेयजलापूर्ति की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) (2) तथा (3) में वर्णित योजनाओं को पूरा कर स्थानीय आमजन को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–165/2021– 3417 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2348, दिनांक– 13.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21

(किशोर कुमार वर्मा)–
संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–165/2021–3419 राँची, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :–संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/21

(किशोर कुमार वर्मा)–
संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

21.12.2021